



158/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी), ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट

कैम्प कोर्ट का स्थान... बालारड़ा

दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालारड़ा
भू-अभिलेख निरीक्षक सिम्वाहेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंघा के आधार पर राजस्व
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरनीघा तहसील कपासन
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्यत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 142,145,146
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	अरनीघा	142,145 146	रामेश्वर पिता ऊंडार - यमर श्री. ज. ब.	रामेश्वर पिता ऊंडार जटिया श्री. ज. ब.

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 158
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामेश्वर पिता ऊंडार जटिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
कपासन जिला चित्तौड़गढ़ 27/09/25

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
कपासन जिला चित्तौड़गढ़